संख्या– /IV-3/2017–34(सा0)/2012

प्रेषक,

राधिका झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–3

देहरादूनः दिनांकः 17 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2017

विषय–राजीव आवास योजनान्तर्गत नगर निकाय जोशीमठ व रूद्रप्रयाग हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य नगरीय विकास अभिकरण के पत्र संख्या–973/40/रा0आ0यो0/डी0आई0आर0–सूडा/2014–15 दिनांक 23.05.2017 तथा शासनादेश संख्या–1728/IV-2/2016–34(सा0)/2012, दिनांक 30.09.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजीव आवास योजना के अन्तर्गत नगर पंचायत रूद्रप्रयाग हेतु द्वितीय किश्त की राज्यांश की धनराशि रू0 111.17 लाख तथा नगर पंचायत जोशीमठ हेतु रू0 158.03 लाख अर्थात् कुल रू0 269.20 लाख (रू0 दो करोड़ उन्हत्तर लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त करते हुये व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(i) स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा एवं मितव्ययिता की मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा।

(iii) कार्य को भारत सरकार के द्वारा दी गयी प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैर्टन से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।

(iv) राजीव आवास योजना हेतु भारत सरकार द्वारा जारी Guideline एवं समय–समय पर निर्मत शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(v) निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

(vi) योजनान्तर्गत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने आवश्यक होंगे एंव निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के संबंध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगें।

(vii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 20.05.2016 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

(viii) उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाए।

(ix) निर्माण कार्यों के संबधं में नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

(x) धनराशि का यथाशीघ्र पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्यांश की औचित्यपूर्ण मांग के साथ शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

(xi) डी0पी0आर0 में स्वीकृत लाभार्थियों से इतर लाभार्थियों को लाभान्वित/आच्छादित न किया जाए।

(xii) उक्तानुसार धनराशि की स्वीकृति के संबंध में शासनादेश संख्या–1342 दिनांक 27.08.2014 एंव कार्यालय ज्ञाप संख्या–05 दिनांक 02.01.2016 में उल्लेखित शर्तों/प्रतिबन्धों एंव दिये गये निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(xiii) उक्त स्वीकृति/अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की गाईड लाईंस/दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक की **अनुदान संख्या–13** के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0106–प्रधानमंत्री आवास योजना–20–सहायक अनुदान/अशंदान/राजसहायता मद के नाम रू0 218.20 लाख एवं **अनुदान संख्या–30** के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0103–प्रधानमंत्री आवास योजना–20–सहायक अनुदान/अशंदान/ राजसहायता मद के नामे रू0 51.00 लाख डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–240/XXVII(2)/14, दिनांक 16 अक्टूबर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

5– एलॉटमैण्ट आई0डी0 संख्या–S1711300118 S1711130117 दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 के द्वारा उक्त धनराशि ऑनलाइन रूप से अवमुक्त की गई है।

भवदीय,

(राधिका झा)
सचिव।

संख्या–2266/IV-3/2017–34(सा0)/2012, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, सी0–1/105, इन्दरा नगर, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4. जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग/चमोली उत्तराखण्ड।
5. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड़ डालनवाला, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग/चमोली
7. वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश को शहरी विकास विभाग के पोर्टल में सम्मिलित करने का कष्ट करें।
9. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत रूद्रप्रयाग/जोशीमठ।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।